कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, (बोकारो)

आदेश पत्रक

आवेदिका– स्नेहलता देवी,
ग्राम– तेलो (नूरागडीया), चन्द्रपुरा।
जन आवेदन संख्या– 369, दिनांक– 12.06.2023

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18.07.2023	प्रतिवादी अनुपस्थित, आवेदिका स्नेहलता देवी, मौजा तेलो, खाता नं0 01, प्लॉट सं0 7059, रकवा 1.98 ए0 भूमि पर बाधा उत्पन्न करने के संबंध में आवेदन दिया गया था। उक्त वर्णित भूमि कि जाँच राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि मौजा तेलो के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 7059, रकवा 1.98 ए0 पर प्रेमचन्द महतो, मोहन महतो एवं महेश महतो पिता स्व0 भागीरथ महतो सा0 नूरागडीया, थाना–चन्द्रपुरा, जिला बोकारो के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर हकियत संबंधित कागजात की मांग की गई, परन्तु प्रतिवादी को तीन बार नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी हकियत संबंधि कागजात के साथ उपस्थित नही हुए। उनके द्वारा दिनांक 21.07.2023 को निबंधित डाक के द्वारा आवेदन दिया गया कि मेरे द्वारा खाता सं0 01 के प्लॉट सं0 7059, रकवा 1.98 ए0 भूमि पर स्नेहलता देवी को बाधा उत्पन्न किया जा रहा है जो कि पूर्णतः असत्य है, एवं वास्तविकता यह है कि प्लॉट सं0 7059 रकवा 1.98 ए0 कि भूमि खाता सं0 01 का नही बल्कि खाता सं0 291 का है जो रजिस्टर 2 में मेरे परदादा श्याम लाल महतो के नाम से दर्ज है। मेरे पूर्वजों एवं हमारे द्वारा इस भूमि पर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से खेती किया जा रहा है। एवं समय–समय पर सरकार को लगान भी दिया जाता रहा है। मेरी इस भूमि पर भू–माफियाओं का नजर है। मेरे गाँव के हीं सदानन्द महतो द्वारा उक्त भूमि के फर्जी दस्तावेज बना कर अदालत मे हमारे विरूद्ध वर्ष 2015 में केश दर्ज कराया था जिसकी सं0 81/2015 है। परन्तु बाद में सदानन्द महतो अपने सभी दस्तावेज अदालत से यह कहते हुए वापस लिया है कि उक्त जमीन के दुसरे कागजात बाद मे पेश करूँगा। अभी यह मामला अदालत मे प्रक्रियाधिन है। वर्तमान मे सदानन्द महतो एवं अन्य स्नेहलता देवी के साथ मिलकर उक्त जमीन के पुनः फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरे भूमि पर दावा किया जा रहा है।	

उक्त के संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से पुनः जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका स्नेहलता देवी के द्वारा खाता सं0 01 का खतियान जिसमे प्लॉट सं0 7059 रकवा 1.89 ए0 भूमि दर्ज है, जो जिरात खाते कि भूमि है। आवेदिका ने केवाला सं0 9109/29.10.1946 कि सत्यापित प्रति जिसमे केवाला दाता का नाम राजा शिव प्रसाद सिंह एवं केवाला ग्रहिता का नाम श्रीमति उषा देवी के नाम दर्ज है। इस केवाला में प्लॉट सं0 7059 सहित अन्य प्लॉट दर्ज है। लगान रसीद जमाबंदी सं0 42/4 से निर्गत होती है। लगान वर्ष 2021–22 तक देय है। इस भूमि पर प्रेमचन्द महतो एवं अन्य के द्वारा बाधा उत्पन्न करने कि बात बताई गई है।

कार्यालय से नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त प्रेमचन्द महतो ने मौजा तेलो के प्लॉट सं0 7059 को खाता नं0 291 के अन्तर्गत बतलाया है जो गलत है। यह भूमि खाता नं0 01 के अंतर्गत है। प्रेमचन्द महतो ने यह केवाला जो वर्ष 1970 को रजिस्ट्रर्ड है कि छाया प्रति उपलब्ध कराई है जिसमे विक्रेता का नाम लछु महतो वल्द शामलाल महतो एवं भगन महतो वल्द प्रीतलाल महतो एवं क्रेता का नाम (1)शिवनारायण महतो वल्द जहलु महतो, (2) दारू महतो वल्द पल्टु महतो का नाम दर्ज है। केवाला मे खाता नं0 291 प्लॉट नं0 7059 रकवा 60 डी0 भूमि दर्ज है। विक्रेता लछु महतो को यह भूमि जो जिरात खाते कि है जिसका मालिक राजा/जमींदार थें, किस प्रकार प्राप्त हुआ उससे संबंधित कागजात प्रस्तुत नही किया गया। दोनो पक्षों के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष (स्नेहलता देवी) का कागजात सही प्रतीत होता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित/संशोधित।

19.07.23

अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

19.07.23

अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.07.19 18:30:45 +05:30
Location: 192.168.154.228